

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रकरण संख्या - 19/2020

पीठासीन अधिकारी - अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

अनवान

- 1 छीतर पिता उंकार लुहार उम्र वयस्क निवासी हुकमपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज. _____ (प्रार्थी)
वनाम
- 1 गोपाल पिता देबी जाट उम्र वयस्क निवासी शिवपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज.
- 2 महावीर पिता देबी जाट उम्र वयस्क निवासी शिवपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज.
- 3 छोदू पिता देबी जाट उम्र वयस्क निवासी शिवपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज.
- 4 सांवरा पिता गोगा गुसाई उम्र वयस्क निवासी शिवपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज.
- 5 शंकरलाल पिता हीरालाल गुसाई उम्र वयस्क निवासी शिवपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज.
- 6 राजुलाल पिता हीरालाल गुसाई उम्र वयस्क निवासी शिवपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज.
- 7 मदनपुरी पिता कल्याणपुरी गुसाई उम्र वयस्क निवासी शिवपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज.
- 8 प्रहलाद पिता रामापुरी गुसाई उम्र वयस्क निवासी शिवपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज.
- 9 बन्नालाल पिता रामापुरी गुसाई उम्र वयस्क निवासी शिवपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज.
- 10 माधू पिता धन्ना जाट उम्र वयस्क निवासी हुकमपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज.
- 11 बद्री पिता धन्ना जाट उम्र वयस्क निवासी हुकमपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज.
- 12 रामचन्द्र पिता देवकरण जाट उम्र वयस्क निवासी हुकमपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज.
- 13 महावीर पिता देवकरण जाट उम्र वयस्क निवासी हुकमपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज.
- 14 खेमा पिता भूरा जाट उम्र वयस्क निवासी हुकमपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा राज. _____ (अप्रार्थीगण)

उपस्थित-

प्रार्थी अधिवक्ता- श्री राजेश वर्मा

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढी आराजीयात

निर्णय

दिनांक - 10.03.2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय मे दिनांक 25.02.2020 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम हुकमपुरा पटवार मण्डल हुकमपुरा भू.अ.नि. धनोप तहसील फुलियाकंला मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 144 के आराजी संख्या 1840, 435, 436 किता 3 रकबा 1.45 हैक्टर भूमि स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता हैं। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दिनांक 26.02.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम हुकमपुरा पटवार मण्डल हुकमपुरा भू.अ.नि. धनोप तहसील फुलियाकंला मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 144 के आराजी संख्या 1840, 435, 436 किता 3 रकबा 1.45 हैक्टर भूमि की पत्थरगढी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक धनोप को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसियान को उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। मौके पर विवाद होने, किसी अन्य न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावे। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकंला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। खर्चा फरीकी फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 10.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,

फुलियाकंला, जिला भीलवाड़ा